P० साहब दौरे पर पधारे है। Sd/-

28/11/25 पत्रा० पेश हुई। प्रार्थी वकील उप० I T R नदबई द्वारा पत्रांक 822 दिनांक 18/11/25 से रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील के कथन रहे कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रूपकिशोर सैनी के स्थान पर अंगूर दर्ज हो गया है। जो कि अशुद्ध है। जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।
हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रा० में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया तथा T D R नदबई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि तहसीलदार नदबई द्वारा भी अंगूर व रूपकिशोर सैनी को एक ही व्यक्ति बताया गया है। एवं प्रार्थी को गाँव में अंगूर के नाम से ही जाना जाता है। तथा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंगूर के स्थान पर रूपकिशोर सैनी दुरुस्त किया जाने की अभिशंषा भी की गई है। तथा प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रूपकिशोर सैनी अंकित है।

PTO —

पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर है जोकि सही है जिसे प्रार्थी मुताबिक अन्य दस्तावेजात दुरूस्थ करापाने की मुरूतहक है।

रूपकिशोर सैनी

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम जमाबंदी के खाता संख्या 29 वाके ग्राम नगला डिघी पटवार में अंगूर के स्थान पर रूपकिशोर सैनी अंकन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रा० पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner